



आगरा विकास प्राधिकरण, जयपुर हाउस, आगरा।


प्राधिकरण की कालिन्दी विहार व शास्त्रीपुरम योजना में आवासीय भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

आलोकप्रिय सम्पत्तियों का पंजीकरण दिनांक 21-12-20 से 20-1-2021 तक

क्र०सं०	योजना	फेस/ सैक्टर	सम्पत्ति श्रेणी	कुल सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	मूल्य प्रति भवन	पंजीकरण घनराशि (रु० में) 10 प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	कालिन्दी विहार (दो मंजिले)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. भूतल (भवन)	1	15.04	148000.00	14800.00
2.	कालिन्दी विहार (दो मंजिले)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. प्रथम तल (भवन)	1	15.04	125000.00	12500.00
3.	कालिन्दी विहार (चार मंजिले)	सी	ई.डब्ल्यू. एस.प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल (भवन)	12	22.92	832000.00	83200.00
4.	शास्त्रीपुरम (चार मंजिले)	ई/ई-1 (256 भवन)	ई.डब्ल्यू.एस. प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल (भवन)	26	22.92	338000.00	33800.00
5.	शास्त्रीपुरम (चार मंजिले)	ई/ई-1 (64 भवन)	ई.डब्ल्यू.एस. प्रथम, द्वितीय व तृतीय तल (भवन)	45	22.92	492723.00	49272.30
6.	शास्त्रीपुरम (चार मंजिले)	बी-1	ई.डब्ल्यू.एस. प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल(भवन)	2	22.92	371000.00	37100.00
योग				87			

प्रमुख शर्त :-

1. आवंटन के नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में व पेमेंट शेड्यूल, अन्य विवरण पंजीकरण पुस्तिका के साथ संलग्न है।
2. पंजीकरण पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय, जयपुर हाउस आगरा स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा से रु० 560/- नकद जमा कराकर दिनांक 21-12-20 से प्राप्त की जा सकती है।
3. किसी भी सम्पत्ति श्रेणी में विशिष्ट सम्पत्ति के लिये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. सम्पत्ति का आवंटन जैसा है, जहाँ है के आधार पर किया जायेगा।
5. उक्त कॉलम-8 में अंकित पंजीकरण घनराशि निर्धारित समयान्तर्गत नकद, डिमाण्ड ड्रफ्ट, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से आगरा विकास प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, में जमा कराते हुए बैंक में दिनांक 20-1-21 तक पंजीकरण फार्म जमा कराना होगा।
6. आवेदन ऑन लाईन के माध्यम से भी किया जा सकता है।
7. सम्पत्ति के मूल्य की 25 प्रतिशत आवंटन घनराशि (पंजीकरण घनराशि को समायोजित करते हुए), भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत पट्टा किराया अतिरिक्त मॉग पत्र के अनुसार निर्धारित समयवांचि में एक मुफ्त देय होगा।
8. भवनों का पट्टा विलेख एवं भवनों का कब्जा भवन की सम्पूर्ण घनराशि जमा होने के उपरान्त ही दिया जायेगा।
9. विज्ञप्ति सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
10. बहुमंजिले भवनों के आवंटन हेतु भूतल भवनों की लॉटरी पृथक से एवं अन्य समस्त तलों की लॉटरी संयुक्त रूप से डाली जायेगी।
11. पंजीकरण घनराशि जमा कराये जाने हेतु आगरा विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर जाकर ई-चालान प्राप्त कर उसे प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कराने होंगे।
12. पंजीकरण के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं० 34 एवं प्राधिकरण के टॉल फ्री नम्बर 0562-2510070 से प्राप्त की जा सकती है।


सोमकान्त सीताराम
संयुक्त सचिव

राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी
सचिव

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा
उपाध्यक्ष